

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 1233/2014

संस्थित दिनांक : 18.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा थाना मलाजखंड अभियोजन
विरुद्ध

- 1-युगल किशोर पिता नारायण बिसेन, उम्र 59 साल,
निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट
 - 2-टोपराम पिता मोहनलाल कटरे, उम्र 40 साल,
निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट
 - 3-राधेलाल पिता बुधसिंह मेरावी, उम्र 40 साल,
निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट
 - 4-भोलाराम पिता शंकर कटरे, उम्र 40 साल,
निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट
 - 5-शंकर पिता सुमरसिंह धुर्वे, उम्र 35 साल,
निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट
-

निर्णय

(आज दिनांक 18.12.2014 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्धि कर 100-100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता

हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2-2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा रुपये 1,550/- (एक हजार पांच सौ पचास रुपये) राजसात किये जावे तथा जप्तशुदा तास के पत्ते विधिवत् नष्ट किये जावे।

बैहर
दिनांक—18.12.2014

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)